





# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कुचामनसिटी जिला नागौर(राज0)

प्रार्थीयः	ब	अप्रार्थीगण
संतोष पुत्री स्व. दुल्लाराम जाट निवासी सुरतपुरा हाल नि.भीलाल पोस्ट लाम्बा	ना म	पतासी देवी पत्नी गोविन्दराम जाट बगैरह सुरतपुरा

राजस्व प्रार्थना पत्र = बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 R.T.Act 1955 एवं अन्तर्गत आदेश 39 नियम 1 व 2 सपटित धारा 151 सी.पी.सी.

प्रार्थना-पत्र नम्बर 144 /2022

GCMS No.2022/ 288

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इंगिलियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए
16.08.2022	<p>वकील प्रार्थी द्वारा यह राजस्व प्रार्थना-पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 R.T.Act 1955 के तहत विरुद्ध अप्रार्थीगण प्रस्तुत किया। प्रार्थना-पत्र दर्ज रजिस्टर हो। प्रार्थी वकील के निवेदन पर एक पक्षीय बहस सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्णीय क्षति प्रार्थी के पक्ष में प्रतीत होता है। अतः अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा आगामी तारीख पेशी दिनोंक 16.09.2022 तक इस आशय की जारी की जाती है कि ग्राम सुरतपुरा पटवार मण्डल चावण्डिया तहसील कुचामनसिटी के 114, 117 चावण्डिया के खसरा नम्बर 268, बेगपुरा पटवार मण्डल चावण्डिया के खसरा नम्बर 52, 33 में अप्रार्थीगण 1 से 17 में बिना विधिक बंटवारा कराये बेचान, हस्तानान्तरण, रहन इत्यादि नही करें, अप्रार्थी सं. 22 उप पंजीयक कुचामनसिटी किसी प्रकार के दस्तावेज का पंजियन स्वीकार नही करे, अप्रार्थी सं. 21 मौके एवं राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखें। अप्रार्थीगण जरिये नोटिस तलब होकर पत्रावली दिनोंक 16.09.2022 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;"> उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी ( नागौर )</p> <p>09/09/2022 वकील वकील, वकील उप प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर पत्रावली का अवलोकन करके प्रार्थीगण के निवेदन है कि प्रार्थनापत्र के तहत अस्थाई निषेधाज्ञा के तहत अप्रार्थीगण के खिलाफ प्रार्थीगण के पक्ष में प्रतीत होता है। अतः अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा आगामी तारीख पेशी दिनोंक 16.09.2022 तक इस आशय की जारी की जाती है कि ग्राम सुरतपुरा पटवार मण्डल चावण्डिया तहसील कुचामनसिटी के 114, 117 चावण्डिया के खसरा नम्बर 268, बेगपुरा पटवार मण्डल चावण्डिया के खसरा नम्बर 52, 33 में अप्रार्थीगण 1 से 17 में बिना विधिक बंटवारा कराये बेचान, हस्तानान्तरण, रहन इत्यादि नही करें, अप्रार्थी सं. 22 उप पंजीयक कुचामनसिटी किसी प्रकार के दस्तावेज का पंजियन स्वीकार नही करे, अप्रार्थी सं. 21 मौके एवं राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखें। अप्रार्थीगण जरिये नोटिस तलब होकर पत्रावली दिनोंक 16.09.2022 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;"> उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी ( नागौर )</p>	<p style="text-align: center;"></p> <p style="text-align: center;"></p>